

बिहार विधान परिषद्

207वां सत्र

तारांकित प्रश्न 26 **जुलाई** 2024

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा - विज्ञान एवं प्रावैधिकी - खेल तकनीकी शिक्षा].

कुल प्रश्न 47

अनुदान की राशि एकमुश्त कब तक

*129 प्रो. संजय कुमार सिंह(तिरहुत शिक्षक) : डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक) : श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक, इण्टर एवं संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छात्र-छात्रओं के उत्तीर्णता के आधार पर वेतन हेतु अनुदान देने का प्रावधान है;
- (ख) क्या यह सही है कि विगत 8 वर्षों से अनुदान की राशि निर्गत नहीं होने के कारण माध्यमिक इंटर एवं संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों में आर्थिक तंगी व आक्रोश व्याप्त है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार माध्यमिक, इण्टर एवं संबद्घ डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 8 वर्षों से लंबित अनुदान की राशि एकमुश्त निर्गत करना चाहती है; यदि हाँ तो कब तक?

प्रोन्नति का लाभ

*130 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नित, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा-शर्त) नियमावली 2020 की कंडिका-14 में प्रोन्नित का प्रावधान किया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के तहत प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाना था जो चार वर्षों बाद भी निर्गत नहीं किया गया है:
- (ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार पंचायत/प्रखंड/नगर शिक्षकों को भी प्रोन्नित दिये जाने का प्रावधान है किन्तु नहीं दिये जाने के कारण शिक्षकों द्वारा मा. उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णय में MJC NO-1742/2017 दायर किया गया था, जिसमें सरकार प्रोन्नित देने का वादा कर चुकी है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत/प्रखंड/ नगर/जिला परिषद् माध्यमिक/नगर परिषद् माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्टेडियम का निर्माण

*131 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल)ः

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि गया-जहानाबाद एवं अरवल जिले के प्रत्येक प्रखंडों में स्टेडियम का अभाव है ;
- (ख) क्या यह सही है कि यदि इन जिलों के प्रत्येक प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को सुविधा होगी तथा खेल के आयोजन भी हो सकेंगे;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गया-जहानाबाद एवं अरवल जिले के प्रत्येक प्रखंडों में एक-एक स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

छात्रावास खोलने पर विचार

*132 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क)क्या यह सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय स्थित जिला स्कूल सहरसा अकादिमक दृष्टिकोण से जिले में अपना स्थान रखती है। सुदूर देहाती क्षेत्र के छात्र भी बेहतर शिक्षा ग्रहण के लिए जिला स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हुए उच्च ओहदे तक पहुंचे है;
- (ख) क्या यह सही है कि जिला स्कूल सहरसा के गौरवशाली छात्रावास को बंद कर उस भवन में किलकारी का कार्यालय खोला दिया गया है;
- (ग) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के प्रतिभावान छात्रों खासकर जो हासिए के समाज से आते हैं, के लिए जिला स्कूल छात्रावास की पुनस्थापना जनहित में है;
- (घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला स्कूल सहरसा में पुनः छात्रावास खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सुधार कबतक

*133 श्री महेशवर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

- (क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिला, मोतिहारी के ढाका प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बहलोलपुर (उर्दू) में विद्यालय की छत पर डीलक्स मॉडल प्री फैब स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है लेकिन छत पर घेरा नहीं होने के कारण बच्चों के गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि विद्यालय में जगह नहीं होने के कारण बच्चों को हमेशा मध्याह्न भोजन छत पर ही खिलाना पड़ता है;
- (ख) क्या यह सही है कि यही स्थिति पहाड़पुर के इनारवाभार पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नरकटिया (उर्दू) की है जिसके रसोईघर की खिड़की और दरवाजा नदारद है, चिरैया के कई विद्यालयों में आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जा रहा है, जबकि चिकया के उर्दू विद्यालयों में रसोईघर की स्थिति बद से बदतर है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों की जान पर आसन्न खतरे तथा विद्यालयों की बदतर स्थिति को देखते हुए इसमें सुधार करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय भवन का निर्माण

*134 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पतार्थ स्थित प्राथमिक विद्यालय, समपुर मनोरथ में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है (विगत 13 वर्षों से)
- (ख) क्या यह सही है कि इस विद्यालय में 200 बच्चे नामांकित है, स्कूल के पास अपना भवन नहीं है। बच्चे पशुघर में मवेशियों के साथ बैठकर पढ़ते हैं एवं पड़ोस की झोपड़ी में तैयार मध्याहन भोजन करते है;
- (ग) क्या यह सही है कि स्कूल के प्रधानाचार्य वहां के स्थानीय पदाधिकारियों से मौखिक और दर्जनों बार पत्र लिखकर थक चुके हैं, परन्तु इनका सुनने वाला कोई नहीं है;
- (घ) क्या यह सही है कि स्थानीय डी.ई.ओ. ने बी.ई.ओ. को तत्काल निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट मांगा। बी.ई.ओ. ने दावा किया कि विद्यालय को भूमि उपलब्ध करा दी गई है। सी.ओ. का कहना है कि भवन निर्माण के लिए 7 कट्ठा का NOC विद्यालय प्रधानाध्यापक को दिया गया, पर इन सबके बावजूद उक्त विद्यालय अब तक भवनहीन ही है;
- (ङ) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराना चाहती है ?

क्लासिक लैंग्वेज के रूप में अधिसूचित

*135 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा)ः

- (क) क्या यह सही है कि शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) के रूप में अधिसूचित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को मैथिली भाषा भी पूरी करती है परन्तु अब तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि इसके संबंध में अबतक बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है;
- (ग) क्या यह सही है कि देश के अन्य छह भाषाओं को अधिसूचित किया गया है परन्तु मैथिली भाषा के साथ यह भेदभाव हो रहा है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मैथिली भाषा को

क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शीघ्र अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

विश्वविद्यालय का दर्जा कबतक

*136 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण बेगूसराय एवं आसपास के जिलों के छात्र-छात्राओं को विभागवार दक्षता प्राप्त करने एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;
- (ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला स्थित गणेशदत्त महाविद्यालय बेगूसराय विश्वविद्यालय बनने की सारी अर्हत्ताओं को पूरी करता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गणेशदत्त महाविद्यालय, बेगूसराय को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय (में परिनत करने) का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

संग्रहालयों में पुस्तकालय की योजना

*137 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि इतिहास पर शोध करने वालों के लिए अलग सुविधा देने के साथ संग्रहालय में पुस्तकालय बनाने की योजना है;
- (ख) क्या यह सही है कि इन पुस्तकालयों में ऐतिहासिक शोध विरासत से संबंधित सामग्रियों का अधिक से अधिक समावेश की जानी है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संग्रहालयों में पुस्तकालय की योजना से सदन को अवगत करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ?

मौखिक परीक्षा कबतक

*138 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में विगत छः माह से पीएच0डी0 शोध कार्यक्रम की मौखिक परीक्षा नहीं हुई है; जिससे शोध छात्रों

का कैरियर बर्बाद हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब मौखिक परीक्षा लेकर परिणाम प्रकाशित करने हेतु विश्वविद्यालय को आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

चहारदिवारी का निर्माण

*139 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के ग्राम पंचायत राज मंझरिया, ग्राम पटखौली के प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमित होकर माध्यमिक विद्यालय हो चुका है। वर्तमान में उक्त विद्यालय में कक्षा 01 से 10 तक की पढ़ाई होती है और 04 गाँव के बीच एक मात्र माध्यमिक विद्यालय में लगभग 700 बच्चे नामांकित है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय तक पहुंचने हेतु कोई सार्वजनिक सड़क नहीं है और विद्यालय चार दीवारी विहीन है। बच्चे एवं शिक्षक पैदल किसी तरह विद्यालय जाते है जबिक विद्यालय तक जाने हेतु सार्वजनिक सड़क नक्शा में उपलब्ध है। चहारदिवारी के आभाव में असामाजिक तत्व द्वारा सरकारी सम्पति की नुकसान सहित बच्चों के असुरक्षा की आशंका बनी रहती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंड़ों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिए सड़क एवं विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विद्यालय की स्थापना

*140 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया)ः

- (क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर निगम, सासाराम के वार्ड नं० 04, लालगंज में आजादी के बाद से ही कोई भी विद्यालय (प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक) स्थापित नहीं हुई है;
- (ख) क्या यह सही है कि वार्ड नं० 04, लालगंज से निकट दो से तीन कि0मी0 तक कोई भी विद्यालय न होने के कारण वहां के छोटे-छोटे बच्चों को भी प्रारंभिक शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पडता है;
- (ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वार्ड नं0 04, लालगंज, नगर निगम, सासाराम में जनहित व छात्रहित में विद्यालय की स्थापना कराना

माफियाओं पर उचित कार्रवाई

*141 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा)ः

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड अंतर्गत धनंजय नदी का कुछ भाग, जो वन क्षेत्र में रहने के कारण, बालू उत्खनन की बंदोबस्ती नहीं हुई है;
- (ख) क्या यह सही है कि रजौली की धनंजय नदी से बालू माफियाओं के द्वारा लगातार बालू उत्खनन किया जा रहा है, जिससे करोड़ों का राजस्व एवं वन, पर्यावरण को क्षति हो रही है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धनंजय नदी का उत्खनन कर रहे माफियाओं पर उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बकाए राशि का भुगतान

*142 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के बिहार सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे ,प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों का विविध सरकारी निर्णयों के बावजूद वेतन-सह-वृद्धि की बकाया राशि वर्षों से लंबित है;
- (ख) क्या यह सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को वेतन-सह-वृद्धि की बकाया राशि का भुगतान हो चुका है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिमी चम्पारण जिला के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन-सह-वृद्धि का बकाया राशि का भुगतान करना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*143 श्री आफाक अहमद (सारण शिक्षक)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के अन्तर्गत जेड.ए. इस्लामिया महाविद्यालय सिवान एक घाटानुदानित शिक्षण संस्थान है जिसमें 12 शिक्षकों के रिक्त स्थानों पर पत्रांक - 4414 (R) दिनांक 07.03.2021 के द्वारा गठित चयन किमटी की अनुशंसा से की गई है, जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 (B) के अनुसार है;

- (ख) क्या यह सही है कि जफर अहमद गनी, सचिव ,शासी निकाय, जेड.ए. इस्लामिया, पी.जी. कॉलेज, सिवान के द्वारा बार-बार कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को पत्राचार किये जाने के बावजूद नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया गया है, जिसके कारण नियामानुसार नियुक्त शिक्षकों का वेतनादि का भूगतान नहीं हो पा रहा है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमानुसार नियुक्त उक्त 12 शिक्षकों का अनुमोदन करते हुए वेतनादि का भुगतान करने हेतू जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को आवश्यक निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

खिलाडियों को नौकरी

*144 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण)ः

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा जु-जीत्सू खिलाड़ियों को 'मेडल लाओ नौकरी पाओ ' योजना के तहत नौकरी देने हेतु नामों की अनुशंसा की गई है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त खिलाड़ियों को वर्ष 2023 में सम्मान समारोह में सम्मानित के साथ-साथ लाखों रुपए का नगद राशि भी प्रदान की गई हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा अनुशंसित नामों का खेल प्रमाण-पत्र जु-जीत्सू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गलत बताया गया है;
- (घ) यदि उपर्यूक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खिलाड़ियों का ससमय खेल प्रमाण-पत्र जांच कराकर नौकरी देने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

महर्षि वाल्मीकि का प्रतिमा कबतक

*145 श्री भीसम साहनी (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य अंतर्गत पश्चिमी चम्पारण जिला में स्थित वाल्मीकि बाघ अभ्यारण बिहार एवं देश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बाघ अभ्यारण में महर्षि वाल्मीकि का प्रतिमा लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक,

नहीं तो क्यों?

एरियर एवं प्रोन्नत्ति का लाभ कबतक

*146 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को जुलाई 2009 से जुलाई 2019 तक का ए०सी०पी०, 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान एवं प्रोन्नत्ति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवधि का एरियर एवं प्रोन्नत्ति का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

डिग्री कॉलेज स्थापित कब तक

*147 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपूर प्रखंड गया शहर से लगभग 100 कि0 मी0 की दूरी पर है;
- (ख) क्या यह सही है कि फतेहपूर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहां के विद्यार्थियों को बी.ए. की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है;
- (ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फतेहपूर प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

बैठने के लिए समुचित व्यवस्था

*148 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा)ः

- (क) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड एवं इन्टर स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों छात्र-छात्राओं सम्मिलित होते है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा के लिए अनेकों परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है, जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी देखरेख हेतु जाते है, किन्तु इनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण अभिभावकगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परीक्षा केन्द्रों पर अभिभावकों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

निजी विद्यालयों में नामांकन

*149 प्रो. (डा.) रामवचन राय (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि शिक्षा का अधिकार-अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 की धारा 12 (1) (सी) द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लिया जायेगा;
- (ख) क्या यह सही है कि ऐसे नामांकित बच्चों के शुल्क आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिछले वर्ष में पटना शहर के किन प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कितने बच्चों का नामांकन हुआ है और शुल्क आदि की प्रतिपूर्त्ति के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

मानदेय में बढ़ोत्तरी

*150 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना जिसका नाम बदल कर कोरोना काल में प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है, में कार्यरत दो लाख चालीस हजार विद्यालय रसोइयों को महज 1650 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है;
- (ख) क्या यह सही है कि रसोइयों के मानदेय में 2020 के बाद से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है;
- (ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके मानदेय में बढ़ोत्तरी का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

*151 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक-2598 दिनांक-11.11.2023 के आलोक में राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई गई है;
- (ख) क्या यह सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1548 दिनांक-05.09.2023 के आलोक में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर कार्यरत स्नातक (प्रशिक्षित) कोटि के शिक्षकों की पदस्थापना दि०-10.09.2023 तक तथा स्नातक (प्रशिक्षित) कोटि के रिक्त पद पर मूल कोटि में कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना दि०-20.09.2023 तक करने का आदेश था;
- (ग) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा द्वारा उनके ज्ञापांक-1327 दि०-15.03.2024 के आलोक में बहुत सारे शिक्षकों को विभिन्न प्रखंडों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने एवं स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में वापस करने का आदेश देने का विचार रखती है?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार

*152 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज)ः

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि कटिहार शहरी क्षेत्र स्थित राजेन्द्र स्टेडियम में विगत कई वर्ष पूर्व दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया था;
- (ख) क्या यह सही है कि निर्मित दर्शक दीर्घा काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है, जिसका जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है,यदि हां तो कबतक ?

डिग्री कॉलेज खोलने का विचार

*153 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार की योजना है कि 2030 तक देश के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन (ग्रास इनरॉलमेंट) अनुपात (GER) 50% हो जबकि बिहार का ग्रास इनरॉलमेंट सकल नामांकन अनुपात लगभग 20% है;

- (ख) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुरूप बिहार के लगभग सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो चुका है एवं साथ ही सभी पंचायतों में 10 +2 के स्कूल बन चुके हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि पंचायत से 10 +2 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज होना आवश्यक है तभी विशेष कर छात्राएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राएं अपने घर मे रहकर ग्रेजुएट की शिक्षा पा सकेगें;
- (घ) क्या यह सही है कि कई प्रखंड दियारा क्षेत्र में स्थित है जैसे बेगूसराय जिले में शाम्हों प्रखंड, कई प्रखंड बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में है जैसे समस्तीपुर जिले के सिंधिया प्रखंड, दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड की भी यही स्थिति है;
- (ङ) यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रथम फेज में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना संभव नहीं है तो विशेष कितनाई वाले प्रखंड में सरकार डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है,यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

स्टेडियम का निर्माण

*154 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर)ः

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के अंदर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलों को बढ़ावा देने हेतु खिलाड़ियों की पहचान, उनके प्रशिक्षण तथा उनके लिए खेल सुविधाओं के विकास हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया नामक योजना चलाई जा रही है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अतर्गत बुनियादी खेल सुविधाओं के विकास हेतु भोजपुर एवं बक्सर जिला के जिला मुख्यालय सहित राज्य के अन्य जिलों में स्टेडियम आदि बनाने का कोई प्रस्ताव है;
- (ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत भोजपुर एवं बक्सर जिला के जिला मुख्यालय सहित राज्य के अन्य जिलों में स्टेडियम आदि बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

अंकेक्षण का विवरण

*155 प्रो. (डा.) राजवर्धन आजाद (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के प्राथमिक तथा उच्चतर

माध्यमिक स्तर पर सभी संस्थानों का शैक्षणिक अंकेक्षण किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार सदन पटल पर इसका विवरण रखना चाहती है?

एम.ए.सी.पी.का लाभ

*156 श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीयकृत परियोजना उच्च विद्यालयों के सीधी नियुक्त से नियुक्त प्रधानाध्यापकों/ प्रधानाध्यापिकाओं को विभागीय अधिसूचना संख्या 554, दिनांक-06/03/2019 एवं अधिसूचना सं-68,दिनांक-20/01/2020 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के तहत एम. ए. सी. पी. का लाभ देने हेतु 77 सेवा निवृत प्रधानाध्यापकों की सूची दिनांक 27/09/2023 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त सूची के क्रमांक 24 पर अंकित नाम श्रीमती रंजना कुमारी, सेवा निवृत प्राधनाध्यापिका, के. बी. सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेरूल्लाहपुर, शेखपुरा, पटना के द्वारा पी. पी. ओ, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर के साथ अपने आवेदन को फरवरी 2024 में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में समर्पित किये जाने के बावजूद उन्हें एम. ए. सी. पी.का लाभ नहीं मिला है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लेखित प्रधानाध्यापिका को एम.ए.सी.पी.का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जर्जर विद्यालयों का पुनः निर्माण

*157 श्री देवेश कुमार (मनोनीत)ः

- (क) क्या यह सही है कि विगत 3 महीनों में मुंगेर, पूर्णिया एवं पटना जिलों के विद्यालयों में छत गिरने की बाते सामने आई है, जिससे कि शिक्षा विभाग के बुनियादी ढाँचे की जर्जर स्थिति देखने को मिली, इन दुर्घटनाओं में कई छोटे बच्चे भी चोटिल हुए, इस तरह की समस्याओं से निदान पाने के लिए सरकार क्या उचित कदम उठाने जा रही है:
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन कर जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर पुनः निर्माण कार्य कराने की कोई योजना है, यदि हां तो कबतक ?

स्कूल परिसर में मेला लगाने पर रोक

*158 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष बक्सर जिलान्तर्गत बी.एन. हाई स्कूल, ब्रह्मपुर के खेल-कूद मैदान एवं विद्यालय परिसर के आसपास स्थानीय प्रशासन एवं विद्यालय की मिलीभगत से घोड़ा का मेला आयोजित किया जाता है, जिससे बच्चों का खेलकूद एवं शिक्षण कार्य बाधित होता है;
- (ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में लगभग 26 लाख की राशि खर्च कर स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जो मेला लगने की वजह से जर्जर एवं बर्बादी की कगार पर है;
- (ग) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश पत्रांक-358/C दिनांक 01/09/2009 के द्वारा विद्यालय परिसर एवं आसपास इस तरह के प्रथा को तत्काल बंद करने का निर्देश है;
- (घ) क्या यह सही है कि बी.एन. हाई स्कूल, ब्रह्मपुर परिसर एवं आसपास खेलकूद मैदान का मालिकाना हक (रैयत) श्री ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च विद्यालय, ब्रह्मपुर के नाम दर्ज है;
- (ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मेला को सरकारी स्कूल परिसर में लगाने पर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विश्वविद्यालय की स्थापना

*159 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार)ः

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के पश्चिमोत्तर सीमावर्ती जिला गोपालगंज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर छपरा में जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय अवस्थित है जिसके चलते यहां के छात्र-छात्राओं को विभिन्न कार्य हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;
- (ख) क्या यह सही है कि लंबे समय से गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु मांग उठ रही है तथा इसके लिए वहां पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है;
- (ग) क्या यह सही है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से गोपालगंज, सीवान, पश्चिम चंपारण आदि जिलों के छात्र-छात्राओं को काफी सहुलियत होगी तथा पठन-पाठन भी सुचारू रूप से होगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में एवं प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

लंबित अन्तर वेतन का भुगतान

*160 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के कार्यालय में शिक्षकों के अंतर वेतन विपन्न सैंकड़ों की संख्या में लंबित है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त लंबित अन्तर वेतन विपन्न में चुन-चुन कर कुछ शिक्षकों का वेतन भुगतान, पैरवी और पहुंच के बल पर हो रही है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कर सभी लंबित अन्तर वेतन का भुगतान करवाना चाहती है, और अनावश्यक विलंब और पैरवी के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है?

वरीयता एवं प्रोन्नति का लाभ

*161 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) : श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीयकृत विद्यालयों में वर्ष 2006 में नियोजित शिक्षकों के रूप में कार्यरत शिक्षकों को पूर्व के नियमावली में वरीयता/प्रोन्नति, जो वर्णित थी, को क्या सरकार सक्षमता परीक्षा के बाद वरीयता एवं प्रोन्नति का लाभ देना चाहती है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सक्षमता परीक्षा के बाद वरीयता एवं प्रोननति का लाभ कबतक देना चाहती है?

भवन का निर्माण

*162 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना में सब्जीबाग के निकट भंवर पोखर मोहल्ला में स्थित राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय 1960 से संचालित है, परन्तु आज यह विद्यालय भवनहीन है;

- (ख) क्या यह सही है कि विद्यालय के 3 कमरे तो नजर आते हैं परन्तु 02 कमरे की छत ढह चुकी है, केवल 01 कमरे में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई मात्र एक ब्लैकबोर्ड के सहारे होती है और इसी कमरे में सभी 6 शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक किसी तरह खड़े एवं बैठकर 42 बचचों को पढ़ाते हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि भवनहीन हो चुके विद्यालय के कारण अधिकतर बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं;
- (घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय का नया भवन का निर्माण कराना चाहती है ?

नियम को समाप्त

*163 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के छात्र-छात्राओं को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसी पंचायत के उच्च विद्यालय में नामांकन करने की बाध्यता है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त नियम के कारण छात्र-छात्राओं के सामने एक बाध्यता उत्पन्न हो जाती है कि उसी पंचायत के हाई स्कूल में नामांकन लेना है जबकि अन्य पंचायत के विद्यालय में छात्र-छात्राएं किसी भी कारण से चाह कर भी नामांकन नहीं ले पाते हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (ख) में वर्णित नियम को समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्टेडियम का निर्माण

*164 डा. मदन मोहन झा(शिक्षक दरभंगा) : डा. उर्मिला ठाकुर(विधान सभा) :

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के जिलों के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का अभाव है;
- (ख) क्या यह सही है कि इन जिलों के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को सुविधा होगी तथा खेल के आयोजन भी हो सकेंगे;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दरभंगा-मधुबनी-समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक-एक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

स्टेडियम का निर्माण

*165 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड की नाद पंचायत के संत शिवानंद हाई स्कूल में खेल का मैदान नहीं है;
- (ख) क्या यह सही है कि उसकी चहारदीवारी एवं स्टेडियम निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार संबंधित अधिकारी को आवेदन देने के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टेडिम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बालिका उच्च विद्यालय स्थापित

*166 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बालिका उच्च विद्यालय पूर्व में बोरिंग कैनाल रोड, पटना में अवस्थित था, जिसे 30 वर्ष पूर्व डाकबंगला चौराहा के पास स्थानान्तरित किया गया था, जिससे बोरिंग रोड एवं इसके आस-पास रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय जाने में असुविधा होती है;
- (ख) क्या यह सही है कि बुद्धा कॉलोनी थाना के पास पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिस पर बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की जा सकती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालिका उच्च विद्यालय को बुद्धा कॉलोनी में स्थापित करने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

खेल मैदान का जीर्णोद्धार

*167 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा)ः

- (क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय अमांवा पूर्वी में खेल मैदान है, जो कि जीर्णशीर्ण अवस्था में है;
- (ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित

में खेल को बढ़ावा देने के लिए रजीली प्रखंड के उच्च विद्यालय अमांवा पूर्वी में खेल मैदान का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राज्यकर्मी का दर्जा

*168 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी कोटि के वैसे नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण किया है, परीक्षाफल प्रकाशित होने के कई माह बाद भी उनका पदस्थापन विभागीय स्तर से लंबित है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को परीक्षाफल प्रकाशित होने/ उत्तीर्णता की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बोर्ड का गठन

*169 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (रनातक सारण)ः

- (क) क्या यह सही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत शिक्षा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 1175 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना का पुनर्गठन किया गया था और (संशोधन) अधिनियम 2024 लागू होने की तिथि 14.03.2024 से बोर्ड भंग हो गया था संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधान का उल्लंघन कर विभागीय अधिसूचना सं.-472 दिनांक 16.03.2024 द्वारा बोर्ड के प्रशासक के पद पर राज्य सरकार के सचिव पद से निम्न पद, अपर सचिव, शिक्षा विभाग की नियुक्ति की गई है;
- (ख) क्या यह सही है संशोधन अधिनियम 2024 में प्रावधान है कि बोर्ड के विघटन के अधिकतम तीन माह के भीतर राज्य सरकार बोर्ड का गठन कर देगी, परन्तु तीन माह की अविध दिनांक 14.06.2024 को ही समाप्त हो चुका है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधान के अनुरूप राज्य सरकार बोर्ड के गठन का विचार रखती है;यदि हां तो कबतक,नहीं तो क्यों ?

छात्रावास का शीघ्र पुनर्निर्माण

*170 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गत एस.यू. महाविद्यालय, हिलसा, एस.पी.एम. कॉलेज, बिहार शरीफ एवं महिला महाविद्यालय, बिहार शरीफ में सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, तथा जिन विषयों की होती भी है उसमें भी सिर्फ 30 (तीस) सीटें ही हैं जिस कारण छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए नालन्दा जिला से बाहर जाना पड़ता है;
- (ख) क्या यह सही है कि एस.यू. महाविद्यालय, हिलसा स्थित छात्रावास भवन काफी पुराना एवं जर्जर स्थिति में है जिस कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है;
- (ग) क्या यह सही है कि जिले के एकमात्र महिला महाविद्यालय, बिहार शरीफ में सिर्फ मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, शेष अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू कराने की आवश्यकता है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला महाविद्यालय, बिहार शरीफ में अन्य सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई, एस.पी.एम. कॉलेज, बिहार शरीफ में स्नातकोत्तर में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी एवं एस.यू. महाविद्यालय, हिलसा के जर्जर छात्रावास का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

चित्र-कृत्तियों का विवरण

*171 प्रो. (डा.) रामवचन राय (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि सन् 1940 ई. में 18 मार्च से 20 मार्च तक रामगढ़ में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने प्रख्यात चित्रकार नन्दलाल बोस से स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली तस्वीरें बनवाई थी;
- (ख) क्या यह सही है कि अधिवेशन के बाद राज्य सरकार ने उन तस्वीरों को पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय को रखरखाव एवं छात्रों के अध्ययन के लिए सुपुर्द किया था;
- (ग) क्या यह सही है कि नन्दलाल बोस जैसे महान कलाकार की उन चित्र-कृत्तियों में से

अधिकांश वहां से गायब हो गयीं और शेष बची कला-कृत्तिया सम्यक अनुरक्षण के अभाव में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय में नन्दलाल बोस की कुल कितनी चित्र-कृत्तियां थीं और अब कितनी बची हैं तथा उनकी क्या स्थिति है ?

कार्य संचालन कबतक

*172 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बेगूसराय में छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है, लगभग सभी प्रतिनिधियों ने बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग सरकार के समक्ष रखी है;
- (ख) क्या यह सही है कि छात्रों को मार्कशीट, माइग्रेशन हर छोटे-बड़े कामों के लिए ल०ना०मि०विश्वविद्यालय दरभंगा जाना पड़ता है जिसकी दूरी बेगूसराय से 120 किलोमीटर है;
- (ग) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में जीडी कॉलेज बेगूसराय में विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र खोला गया था जो अभी काम नहीं कर रहा है, बिहार में कई विश्वविद्यालय के ऐसे उपकेन्द्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं;
- (घ) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेगूसराय में ल०ना०मि०विश्वविद्यालय के उपकेन्द्र का सुचारू रूप से कार्य संचालन कबतक कराना चाहती है ?

अतिथि शिक्षकों की सेवा समायोजन

*173 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर)ः

- (क) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी;
- (ख) क्या यह सही है कि नई शिक्षा नीति एवं राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात में कमी को देखते हुए विश्वविद्यालयों के अंतर्गत इन अतिथि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति या समायोजन करना अत्यंत आवश्यक है;
- (ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिथि शिक्षकों

की नियमित नियुक्ति या समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शासी निकाय का गढन

*174 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायलय, पटना के CWJC NO-16814/2015 में दिनांक 07.04.2017 को तीन माह के अन्दर एवं पुनः खण्डपीठ के अपील नं0 797/2017 में दिनांक 16.05.2018 को पारित न्यायादेशानुसार कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को डी०एन० कॉलेज, मसौढी, पटना में विधिवत शासी निकाय का गठन करना था;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त न्यायदेशानुसार अबतक डी०एन० कॉलेज मसौढी पटना में विधिवत शासी निकाय का गठन नहीं किया गया है;
- (ग) क्या यह सही है कि दिनांक 05.09.2022 को कुलपति द्वारा कॉलेज में चल रहे अवैध तदर्थ समिति के कार्यरत पूर्व सदस्यों को ही बिना दानदाता सदस्य के अपेक्षित चुनाव किये शिक्षाविद् सदस्य का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति की गई है;
- (घ) क्या यह सही है कि उपर्युक्त नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60 (1) (v) एवं परिनियम 3 (॥) के बाध्यकारी कानूनी प्रावधान के विरुद्ध एवं अवैध है;
- (ड.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्यायादेशानुसार अवैध गठित शासी निकाय को भंग कर कानूनी प्रावधानानुसार नियुक्त शासी निकाय का गठन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लिपिक/परिचारी के पद पर बहाली

*175 श्री देवेश क्मार (मनोनीत)ः

- (क) क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन नही हुआ है एवं शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन उनकी वरीयता की गणना नियुक्ति की तिथि से करते हुए प्रोन्नित की लाभ देने की कोई योजना है;
- (ख) क्या यह सही है कि महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पदस्थापन की कोई योजना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा विद्यालयों में वर्षों से रिक्त लिपिकों एवं परिचारियों के पदों को भरने की कोई योजना है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त यदि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, तो उक्त शिक्षकों को लिपिक या परिचारी के पद पर बहाली कर रिक्त पद को भरने की क्या योजना है?

पटना. 26 जुलाई, 2024. अखिलेश कुमार झा , सचिव, बिहार विधान परिषद्